सं.ए-20011/26/2018-हिंदी

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

समन्वय निदेशालय

(पुलिस बेतार)

खण्ड-9 के.स.का.परिसर

लोधी रोड़, नई दिल्ली-3

दिनांक-12/06/2023

<u>परिपत्र</u>

विषय :- हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन योजना।

उपर्युक्त विषय में गृह मंत्रालय के दिंनाक 30-05-2023 के कार्यालय ज्ञापन सं.11027/01/2016 रा.भा.(निति) द्वारा परिचालित अनुदेशों के अनुपालन में इस निदेशालय के मुख्यालय और अंतर राज्य पुलिस बेतार स्टेशनों के अधिकारियों और कर्मचारियों को जो अपना सरकारी कामकाज हिंदी में करते हैं, को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निदेशालय में योजना लागू की गयी हैं।

2. उपर्युक्त योजना में भौगोलिक दृष्टि से अलग-अलग स्थित प्रत्येक कार्यालय के लिए नकद पुरस्कार की राशि निम्नलिखित है :-

पहला पुरस्कार (दो पुरस्कार)	5000/-रुपये प्रत्येक
दूसरा पुरस्कार (तीन पुरस्कार)	3000/-रुपये प्रत्येक
तीसरा पुरस्कार (पाँच पुरस्कार)	2000/-रुपये प्रत्येक

3. अपना पूर्ण कामकाज मूल रुप से हिंदी में करने वाले सभी श्रेणी के कर्मचारियों और अधिकारियों जो '**क' और 'ख'** क्षेत्र में कार्यरत हैं और जिन्होने एक वर्ष में कम से कम 20,000 शब्द तथा ग क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी और अधिकारी एक वर्ष में कम से कम 10,000 शब्द हिंदी में लिखते हैं वे इस योजना में भाग ले सकते है।

4. अधिकारियों और कर्मचोरियों द्वारा किए गये हिंदी कार्य के मूल्यांकन के लिए मूल रुप से टिप्पण और आलेखन के अतिरिक्त हिंदी में किये गये अन्य कार्य जिनका सत्यापन किया जा सकें, जैसे रजिस्टरों में इन्दराज, सूचियां बनाना, लेखा कार्य आदि भी शामिल किये जा सकते है।

5. जिन प्रतियोगियों की मातृभाषा तमिल, तेलगु, कन्नड़, मलयालम, बंगला, उड़िया और असमिया हैं उन्हें 20% तक अकों का लाभ दिया जायेगा। ऐसे व्यक्ति अपना हिंदी का ब्यौरा भेजते समय अपनी मातृभाषा का भी उल्लेख करें।

6. मुख्यालय, पोलनेट हब, केन्द्रीय पुलिस रेडियो प्रशिक्षण संस्थान तथा अंतर राज्य पुलिस बेतार स्टेशनो के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे **01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023** तक हिंदी मे किए गयें अपने कार्यो का सम्पूर्ण ब्योरा संलग्न प्रपत्र मे भरकर उचित माध्यम द्वारा 15 **जुलाई**, 2023 तक हिंदी अनुभाग को अवश्य भेजने का कष्ट करें, **इसके उपरान्त प्राप्त होने वाले ब्योरो पर विचार नहीं किया जाएगा।**

7. कार्यो का ब्यौरा शाखा अधिकारी/ अनुभाग अधिकारी/ स्टेशन प्रभारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए और इसके साथ संलग्न नमूने के अनुसार एक प्रमाण पत्र भी दें कि प्रतियोगी द्वारा किए गए हिंदी कार्य का ब्यौरा सही है। बाह्य स्टेशनों के स्टेशन प्रभारियों से यह भी अनुरोध है कि वे कार्य का ब्यौरा भेजते समय प्रत्येक प्रतिभागी के विचारों की स्पष्टता के लिए कुल 30 अकों मे से अंक प्रदान करें।

शशि कान्त सिंह 12/06/23

(शशि कान्त सिंह)

सहायक निदेशक (रा.भा.)

प्रतिलिपि :-

1. निदेशक के प्रधान निजी सचिव/ अपर निदेशक (मुख्या.) व संचालन के निजी सचिव ।
2. सभी अनुभाग अधिकारी/ सभी अंतर राज्य पुलिस बेतार स्टेशन।
3. पोलनेट हब, समन्वय सदन, सिरीफोर्ट रोड़, नई दिल्ली।
4. संचार/ बीजलेख केन्द्र नॉर्थ ब्लाक नई दिल्ली।
5. के.पु.रे.प्र.संस्थान/ के.पु.रे.प्र. संस्थान (बीजलेख स्कंध),वन्दे मातरम मार्ग, नई दिल्ली।
6. सूचना व प्रौद्योगिकी अनुभाग (वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)

प्रपत्र

श्री/श्रीमती/कुमारी ....पदनाम ....

अनुभाग/संस्थान/अंतर राज्य पुलिस बेतार स्टेशन ....

द्वारा दिनांक 01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक हिंदी में किए गए सरकारी कार्य का ब्यौरा।

(टिप्पणी) - यह प्रपत्र नमूने के तौर पर है इस के आधार पर प्रपत्र तैयार करके प्रत्येक माह हिंदी कार्य का विवरण अलग-अलग भरा जाए । यह भी सुनिश्चित करें की सूचना पूर्ण एवं सही हो और वह अनुभाग/स्टेशन पर हिंदी कार्य के ब्योरे के रजिस्टर से मेल खाती हो । जिन फाइलों व रजिस्टरों इत्यादि में हिंदी में कार्य किया है उनका पूरा विवरण दें।

क्र.सं.	तिथि	कुल फाइलों, रजिस्टरों आदि की संख्या जिनमें हिंदी में काम किया गया	हिंदी में लिखे गए टिप्पणी और आलेखन के शब्दों की संख्या	हिंदी में किए गए और काम		तत्काल अधिकारी/उच्च अधिकारी के हस्ताक्षर
				संक्षिप्त ब्योरा	**शब्दों की संख्या**	
1	2	3	4	5	6	7

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.. पदनाम ....मातृभाषा .... जो कि अनुभाग/संस्थान/अंतर राज्य पुलिस बेतार स्टेशन .... में कार्यरत हैं द्वारा 01 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक प्रस्तुत हिंदी में किए गए सरकारी कार्य का ब्योरा सही है । हिंदी में किए गए कार्य की प्रविष्टि अनुभाग/संस्थान/स्टेशन में उपलब्ध कराए गए रजिस्टर में की गई है तथा उस पर तत्काल अधिकारी/उच्च अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए गए हैं । विचारों की स्पष्टता के लिए कुल 30 अंकों में से .... अंक प्रदान किए जाते है ।

अग्रेषित करने वाले प्राधिकारी के
हस्ताक्षर एवं मोहर